UPSI180021422020

न्यायालय Civil Judge Junior Division, Sitapur

पीठासीन अधिकारी- (Mayank Prakash), (उ०प्र० न्यायिक सेवा) - UP02293

मूलवाद सं० - Civil Suit/273/2020

कोमलचन्द्र आदि बनाम चन्द्रपाल आदि

दिनॉक–19.09.2020

प्रार्थना–पत्र 6ग मय शपथ–पत्र वादीगण की ओर से प्रस्तुत किया गया।
सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

निस्तारण प्रार्थना–पत्र 6ग2

प्रार्थना पत्र 6ग पर सुना गया।

वादीगण द्वारा भूमि गाटा सं0–128 रक्बा 0.826 हे0 स्थित ग्राम मुबारकपुर कलां परगना व तहसील महमूदाबाद जिला सीतापुर के सम्बन्ध में प्रतिवादीगण के विरूद्ध दौरान मुकदमा के लिए अस्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष याचित किया गया है। वादीगण के अनुसार वे वादीय भूमि के मालिक, काबिज व संक्रणीय भूमिधर हैं। वादीय भूमि पर वर्तमान में धान की फसल लगी हुई है। वादीय भूमि वादीगण की पैतृक है। वादीय भूमि से प्रतिवादीगण का कोई वास्ता–सरोकार नहीं है। वादीय भूमि से प्रतिवादीगण का कोई वास्ता–सरोकार नहीं है। प्रतिवादीगण वादीगण के भूमि नम्बर में लगी फसल को नष्ट करके उस पर जबरन कब्जा कर लेना चाहते हैं। अतः जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा उन्हे निषेधित किया जावे। वादीगण द्वारा अपने कथन के समर्थन में सूची 8ग से 9ग खतौनी, 10ग खसरा प्रस्तुत किया गया है। इन राजस्व प्रपत्रों से वाद–पत्र के अभिकथनों का इस स्तर पर समर्थन होता है। तद्नुसार विवादित स्थल को संरक्षित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

प्रतिवादीगण को नोटिस जारी हो। तब तक प्रतिवादीगण भूमि गाटा सं0–128 रक्बा 0.826 हे0 स्थित ग्राम मुबारकपुर कलां परगना व तहसील महमूदाबाद जिला सीतापुर पर किसी प्रकार का हस्तक्षेप न करें। वादीगण आदेश 39 नियम 3 जा0दी0 का अनुपालन करे। इस आदेश का प्रभाव सीमांकन कराये जाने वाले सक्षम प्राधिकारी पर नहीं पड़ेगा। पत्रावली वास्ते निस्तारण प्रा0–पत्र 6ग दि0–13.10.2020 को पेश हो।

सिविल जज (जू0 डि0)
महमूदाबाद,सीतापुर।
J.O. Code-UP-2293

अजय/–

Digitally signed by Mayank Prakash
Date: 2020.09.19 16:16:00 IST
Reason: Document Owner
Location: Civil Judge J.D./J.M. Mahmudabad, Sitapur